Proceedings of Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Satish Kumar and Sh. Harish Kumar Parteners M/s Mahavir Stone Crusher, Village & P.O. Shivnagar Takarla, Tehsil Amb, District Una HP, for collection of Stone, Sand & Bajri situated in Mohal Shivnagar, Mauza Takarla, Tehsil Amb, District Una HP over an area of 9-48-73 Hectares.

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by M/s Mahavir Stone Crusher, Village & P.O. Shivnagar Takarla, Tehsil Amb, District Una HP, for collection of Stone, Sand & Bajri situated in Mohal Shivnagar, Mauza Takarla, Tehsil Amb, District Una HP over an area of 9-48-73 Hectares was organized on 18.09.2012 at 11.00 AM by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una as per Govt. of India (EIA) Notification No-SO-1533 dated 14.09.2006. This public hearing was organized by the HP State Pollution Control Board under the chairmanship of ADM, Una according to prescribed process of public hearing. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed (Annexure-I). In this public hearing, the members of the local administration, Mining Officer, Una, Chairperson Zila Parishad Una, Dy. Director Horticulture Una, Tehsildar Amb & Panchayat Pardhan of Takarla, Baduhi, Diara and Thathal & Resident of GP Takarla, Baduhi and of adjoining areas were present. First of all, the Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office Una welcomed the Chairman & public and started the process of Public Hearing. ADM, Una also briefed the public in details about the public hearing concept in terms of the environmental impact and also encouraged the people present in this Environmental Public Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed mining area without any fear and pressure from any corner. Then the brief description regarding this proposed Mining Area was given by the representative of the Stone Crusher.

Videography of the public hearing was also done. According the proceedings of the environmental public hearing was recorded and the same are reproduced here.

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
1.	Sh. Karam Singh Ranout (Ex Army man) VPO. Takarla Tehsil, Amb, District Una HP.	Sh. Karam Singh expressed that originally he belongs to Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, but now he has settled at VPO. Takarla. About 250 families are also settled here. He further said that had this public hearing been conducted before 21/12/2006, there might have been no problem to the public in this area. He further stated that few days back the similar public hearing was conducted in the upper village and the drum beating was also conducted in the upper village, but the stone crusher has been installed downwards near our houses, but no intimation was given to them in Village Takarla about that public hearing. There is huge noise	The ADM, Una requested him in general to speak about on the related Environmental issues about mining activities and stone crusher. The ADM Una also briefed about the

		pollution from this stone crusher & they can not sleep at night and they are surrounded by the four nos of stone crushers in this area. The Garni khadd is a Goddess like Swan River. Proper mining activities are not carried out here and plough is used to carry out mining activities. He expressed his views about Abadi Deh. He suggested that there should be fixed timings to run this stone crusher and a separate electric line should be installed from the substation itself and officer of the Deptt. should be made accountable for this. Had any action been taken at the initial stage, there might have been no problem to any villager. No proper techniques are adopted for the mining activities by the project proponent. The dam built at the upper side on the Garni Khadd has been damaged, resulting in danger to the village. We have written to the Swan Project authorities, but no action has been taken by the department. The tractors are regularly running and mining, with the result that no stones are left in the Khadd.	meaning of Abadi Deh and directed the proponent of the project to fix timing of the crusher and plying of vehicles so as to cause minimum inconvenience to the local residents. They were advised not to operate the machinery & ply the vehicles beyond 10 pm.
2.	Sh. Rajesh Kumar S/o Sh. Bishan Dass VPO. Takarla Tehsil, Amb, District Una HP	Sh. Rajesh Kumar expressed that, his house is situated at about 400 meters distance away from this stone crusher and he has adjusted himself with this stone crusher. He further said that road conditions are very poor due to the continuous use of JCB/Machines and movement of Trucks & Tractors. Music is used at high level sound in the trucks. The water level in the wells has gone very low. He requested that the mining activities should be carried out manually and the road/path should be protected.	The ADM Una has advised the proponent of the project not to use heavy trucks on village roads and give strict directions to the truck / tractor drivers to not to use music in the vehicle and not to ply them after 10 pm.
3.	Sh. Kulbhushan Lath. Secretary Society VPO. Takarla Tehsil, Amb, District Una HP	Sh. Kulbhushan Lath expressed that about 400 Kanals of his land is situated adjoining to this stone crusher and he cultivates vegetables & wheat in it. Two nos. of tube wells are also installed in this land. He further stated that there are many benefits of the mining activities in this area. Initially there was dust problem from this stone crusher. Now the unit has installed the water sprinklers and the dust problem has been solved. He further stated that	

		mining activities should be carried out away from the dam, which has been constructed on the Khadd. No mining activities should be carried in the late night hours. He suggested that the bajri & sand should be provided at cheaper rates for the construction of school and private buildings. He further informed that he had also taken the material for construction of temple and building of a society from proponent of this stone crusher who cooperates with them. Earlier they used to purchase bajri & sand from other places, but the public has been benefitted with the setting up of this crusher.	
4.	Sh. Devinder Lath. Panchayat Samity Secretary VPO. Takarla Tehsil, Amb, District Una HP	Sh. Devinder Lath welcomed the administration and the public for attending this public hearing. He expressed that for the development of a country, there have always been benefits & losses. We get the employment, if any industry is established, but there may be some losses due to this. He suggested that timing should be fixed to run the stone crushers. While clarifying on the statement of Sh. Rajesh Kumar he said that he has not seen the proponent of the stone crusher using the machine/JCB for the mining activities and it may have been seen by the nearby people. He also stated that many vehicles i.e HRTC buses, Pvt. Vehicles & Public vehicles pass through the roads/path, and if the road/path is damaged in the rainy season, it is repaired by the proponent of the crusher with the help of machines. He requested the Panchayat Pradhan, to arrange sand & bajri for the local residents of the village at concessional rates. He requested the ADM that the heavy tippers/trucks should not be allowed to pass in rainy season through the village link road. He further stated that the stone crusher proponent has fulfilled all the norms and persued the case up to the High Court.	The ADM Una advised the proponent of the project to ply the vehicles and run the crusher up to 10 pm only and also to maintain the village roads whenever damaged by their vehicles.
5.	Mr. Thakur Sita Ram Pradhan GP Thathal VPO Thathal , Tehsil, Amb, District Una	Thakur Sita Ram expressed that, he came to know about this public hearing today only and wanted to discuss the shortcomings of the Deptt. . He further expressed that there are always profits and losses of development in any area. He further pointed out that in the state of H.P, some stone crushers have been installed as per the norms of the Deptt. and	The ADM Una has advised the departments to carry out the inspections as per the Govt. Norms & have

	HP	some have been installed without following the norms, resulting in loss to the local Panchayat as well as the local area. He expressed his concern about the crusher installed in his native village Thathal, where he has planted 21000 trees and they all have been damaged due to the establishment of that stone crusher. He complained about this to various departments and Government, but no action has been taken. He requested to the mining department that the permission of stone crushers should not be given near residential houses, garden, Govt. nursery & tube well. He demanded that action may be initiated against those officers who have given permission to the stone crushers violating the norms. He has also intimated about the threats of death given by the proponent of that stone crusher installed in his native village Thathal. The Stone crushers should be installed & no machine/JCB should be used for the mining activities. There should be strict watch/supervision on bridge and flood prone areas for illegal mining. He requested the Panchayat Pradhan, to arrange the sand & bajri for the local residents of the village at concessional rates.	strict vigil on bridges and flood prone areas. He also advised that local people should be provided the material at concessional rates.
6.	Sh. Arjun Singh Pradhan GP Diara Village Diara , Tehsil, Amb, District Una HP	Sh. Arjun Singh expressed his thanks to the Govt. for the establishment of this Stone crusher. He pointed out that it was not possible for the common villagers to procure sand & bajri from Punjab. The mining activity in the area has controlled the damage caused due to floods. He further stated that the water table in the mining area is low, whereas in the other States deep digging is required for getting water. He also stated that the people of the area are benefitted by this crusher as they are getting washed bajri & sand, their land has been protected and people have opened business establishments near the stone crusher. He also stated that there is no shortage of electrical supply. He also pointed out that if some crusher owners is using JCB for mining activities, they should be panalised.	

7.	Mr. Mehar Chand Pradhan Village & P.O Baduhi, Tehsil, Amb, District Una HP	Mr. Mehar Chand expressed that there are always good and bad effects of any developmental project. Where stone crushers are installed, some people are benefitted while others have to face difficulty. He expressed his concern over the threats to the Gram Panchayat Pradhan Thathal and requested the departments of mining & pollution control to take effective steps to control the illegal mining, so that the check dams & bridge could be protected. He complained that the crusher runs through out the night due to which they are not able to sleep peacefully. No arrangements have been made to control the dust and the mining has been done so deep that the soil below is visible. He suggested that the link road which passes through the khadd should be made 2 to 4 meters wide and should be cemented so that people could be benefitted. He requested to the crusher owner to plant trees and fill up the ditches which have been created due to illegal mining. He also complained that the tractors & trucks are damaging the village roads, the vehicles are playing music at high pitch in the night and the agriculture tractors are being used for commercial purpose.	The ADM Una has advised the crusher owner to plant trees around his mining area, mend up the village roads & control the plying of vehicles & running of crusher up 10 pm only. He also asked them to take effective steps for controlling dust in the air. He also asked the RTO Una to challan the vehicles which were found without proper documents.
8.	Sh. Vijay Kumar Pradhan GP Takarla, Tehsil, Amb, District Una HP	Sh. Vijay Kumar expressed that no plantation has been carried out by the owner of the stone crusher. He also stressed upon need for plantation of trees around the crusher unit. He further stated that, the village link road had not the adequate capacity for heavy vehicles, so he requested that no heavy vehicles should be allowed pass through link road.	The ADM Una asked the crusher owner not to ply the heavy vehicle on the village link road.
9.	Mr. Rajinder Kumar R/O of VPO. Takarla, Tehsil, Amb, District Una HP	Mr. Rajinder Kumar expressed that, his house is located at a distance of 300 meters from the crusher which was causing noise pollution, for which he was informed the crusher owner and to fix up the timings of crusher, which was agreed upon. Now the crusher is not running at night and is not causing any dust as the owner has installed fountains and wall to stop it. He further stated that the noise pollution is normal now.	The ADM Una advised the crusher owner not to carry out the mining activities in night & take all care and precautions to avoid noise & air pollution.

At the end, Environmental Engineer, HPSPCB, Regional Office Una thanked all the participants and the District Administration for attending the Environmental Public Hearing. He also instructed the proponent of this stone crusher as well as other stone crushers, not to operate the stone crusher in odd hours i.e between 10:00 PM to 06:00 AM.

Additional District Magistrate

District Una(H.P.)

श्री सतीश कुमार व श्री हरीश कुमार पार्टनर श्री युत महावीर स्टोन क्रशर गांव व डाकघर शिव नगर, टकारला तहसील अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा मौहाल शिव नगर मौजा टकारला तहसील अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.) में तदादी 9-48-73 हैक्टेयर में पत्थर, रेत व बजरी के संग्रह के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही का विवरणः

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2012 को प्रातः 11:00 बजे गांव व डाकघर शिव नगर, टकारला तहसील अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा मौहाल शिव नगर मौजा टकारला तहसील अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.) में तदादी 9-48-73 हैक्टेयर में पत्थर, रेत व बजरी के संग्रह के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न-1 पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, खनन अधिकारी, जिला ऊना, अध्यक्षा जिला परिषद् ऊना, उप निदेशक बागवान ऊना, तहसीलदार अम्ब, अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण व पंचायत प्रधान टकारला, बडूही, दियाड़ा व ठठल एवं गांव पंचायत टकारला व बडूही व साथ लगते गावों के निवासी उपस्थित थे। सर्व प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ऊना ने अध्यक्ष महोदय व जनता का अभिनन्दन किया व जन सुनवाई की कार्यवाही प्रक्रिया शुरू की । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस खनन क्षेत्र के सम्बंध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो निंसकोच पूछ सकते है। तत्पश्चात स्टोन क्रशर के प्रतिनिधि द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई । इन जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी भी की गई। इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री कर्म सिंह रणौत भूतपूर्व सैनिक, गांव व डाक. टकारला तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	श्री कर्म सिंह रणौत ने कहा कि मैं तहसील बड़सर जिला हमीरपुर से सम्बंध रखता था व हाल ही में वह यहां स्थापित हुआ है। यहां आस-पास लगभग 250 परिवार स्थापति हैं। अगर इस तरह की जन सुनवाई 21-12-2006 से पहले हो गई होती तो यहां के क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ता । कुछ दिन पहले इस तरह की जन सुनवाई ऊपर गांव में हुई थी व इसका ढोल भी ऊपर गांव में ही पीटा गया। जबकि क्रशर हमारे गांव के पास लगा है। परन्तु हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। उस क्रशर का बहुत ज्यादा शोर है। व हम रात को सो नहीं सकते । हम चारों तरफ से चार क्रशरों से घिरे हुए हैं। यह गारनी खडड स्वां नदी की तरह देवी का रूप है। सही ढंग से यहां पर खनन प्रक्रिया नहीं की जाती व यहां पर हल चलता है। उन्होने आबादी देह पर विचार व्यक्त किए व सुझाव दिया कि क्रशर के	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला ऊना ने श्री कर्म सिंह रणौत से अनुरोध किया कि वह इस क्रशर व खनन पटटा के पर्यावरणीय प्रभावों के मुद्दों के बारे में ही कहें। अतिरिक्त दण्डाधिकारी ने जनता को आबादी देह के बारे में विस्तार से बताया। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना ने क्रशर मालिक को निर्देश दिया कि क्रशर और गाड़ियों के चलने का समय

		चलने का समय निर्धारित किया जाये। इसके लिए अलग से बिजली की तार विछाई जायें व इस तार को बिजली सब स्टेशन से जोड़ा जाये और इसके लिए विभाग का अधिकारी जिम्मेवार हो। अगर इस तरह की कार्यवाही पहले हो गई होती तो गांव के लोगों को परेशानी नहीं होती। खनन प्रक्रिया यहां पर सही तरीके नहीं की जाती। गारनी खडड के ऊपरी तरफ एक बांध बना था, जोकि गिरने के कगार पर है। और इस बांध से गांव में बाढ़ का भी खतरा हो गया है। हमनें स्वा प्रोजेक्ट के अधिकारी को भी इसके बारे में लिखा। परन्तु इस बात पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहां पर लगातार ट्रेक्टर और खनन प्रक्रिया चली हुई है व खडड में कोई पत्थर नहीं बचा है।	निर्धारित किया जाये, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी न हो । उन्होने यह भी सुझाव दिया की क्रशर मालिक रात को दस बजे के बाद मशीन और गाड़ियां न चलाएं ।
2.	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री विशन दास, गांव व डाक. टकारला तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	श्री राजेश कुमार ने कहा कि उनका घर इस स्टोन क्रशर से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। व हमनें इस क्रशर को स्वीकार कर लिया है। उन्होने आगे कहा कि यहां पर जे.सी.बी. /मशीन का प्रयोग व ट्रकों के लगातार चलने से सड़क की हालत काफी खराब हो गई है। यहां पर ट्रकों में बहुत जोर से गाने बजाये जाते हैं । यहां के कुओं का पानी बहुत गहराई तक चला गया है। उन्होने अनुरोध किया कि खनन प्रक्रिया हाथों से की जाए व सड़क को बचाया जाये।	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना ने क्रशर मालिक को निर्देश दिया कि गांव के लिंक रोड़ पर भारी ट्रकों की आवाजाही वंद की जाए और ट्रक/ट्रिकटर चालकों को सख्त हिदायत दी जाए कि गाड़ियों में गाने न बजाएं और रात को दस वजे के बाद गाड़ियां न चलाई जाएं ।
3.	श्री कुलभूषण लट्ठ सचिव सोसाइटी, गांव व डाक. टकारला तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होने कहा कि मेरी 400 कनाल जमीन इस क्रशर के साथ लगती है और हम यहां पर सब्जियां व गेहूँ उगाते हैं। इस भूमि पर 2 ट्यूब बैल लगें है। पहले यहां पर इस स्टोन क्रशर से काफी धूल उडती थी अब इस स्टोन क्रशर द्वारा पानी के फब्बारे लगा दिये गये हैं, जिससे धूल की समस्या का समाधान हो गया है। उन्होने कहा कि जो बांध इस खडड पर बना हुआ है, खनन प्रक्रिया इस बांध से दूरी पर की जाए। रात को खनन प्रक्रिया न की जाये। उन्होने सुझाब दिया कि रेत व बजरी का मूल्य स्कूल व स्थानीय लोगों के घरों को बनाने के लिए सस्ते दामों पर दी जायें। उन्होने कहा कि मैंने मन्दिर व सोसाइटी बनाने के लिए यहां से रेत व बजरी ली थी। और यह हमें सहयोग भी करते हैं। पहले रेत व बजरी के लिए हमें दूर जाना पड़ता था। परन्तु यहां पर इस स्टोन क्रशर के लगने से लोगों को फायदा हुआ है।	
4.	श्री दविन्द्र	उन्होने इस जन सुनवाई पर पधारने के लिए प्रशासन व लोगों	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी

	लटठ, सचिव पंचायत समिति, गांव व डाक. टकारला तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	का स्वागत किया। उन्होने कहा कि देश में जब तरक्की होती है तो उसके फायदे व नुकसान दोनों होते है। जब कोई कारखाना लगता है, तो लोगें को रोज़गार भी मिलता है और कुछ लोगों को इसका नुकसान भी होता है। उन्होने कहा कि स्टोन क्रशर के चलने का समय निर्धारित किया जाये। जो विचार श्री राजेश कुमार ने दिये थे, उनका उन्होने स्पष्टीकरण किया। उन्होने कहा कि स्टोन क्रशर मालिक को जे.सी.बी./मशीन का उपयोग करते हुए उन्होने नहीं देखा । हो सकता है कि स्थानीय लोगों ने देखा हो। यहां पर बहुत सारे वाहन जैसे कि हिमाचल पथ परिवहन की बसें, निजि वाहन व स्थानीय लोग इस सड़क से गुजरते हे। अगर वर्षा के कारण यह सड़क खराब हो जाती है तो स्टोन क्रशर मालिक इसे मशकन द्वारा ठीक कर देते हैं। उन्होने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से अनुरोध किया कि बरसात के दिनों में भारी टिप्पर/ट्रक गांव के लिंक रोड़ से नहीं गुजरने चाहिए। उन्होने कहा कि यह स्टोन क्रशर नियमों के अनुसार लगा है व स्टोन क्रशर मालिक ने हाई कोर्ट तक इसका केस लड़ा है।	जिला ऊना ने क्रशर मालिक को निर्देश दिया क्रशर और गाड़ियों को रात के दस वजे तक ही चलाएं । अगर उनकी गाड़ियों से रोड़ खराब हो जाए तो उसको ठीक किया जाए ।
5.	श्री सीता राम ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत ठठल, तह. अम्ब, जिला ऊना (हि. प्र.)	श्री सीता राम ठाकुर कहा कि उन्हें आज ही इस जन सुनवाई के बारे में पता चला है व वह खनन विभाग की गलतियों के बारें में बताना चाहते है। जब भी किसी क्षेत्र की तरक्की होती है, तो उसके कुछ नुकसान भी उठाने पड़े है। उन्होने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ स्टोन क्रशर नियमों के अनुसार लगे हैं व कुछ स्टोन क्रशर नियमों को ताक पर रख कर लगायें गये हैं। इसका नुकसान स्थानीय लोगों व इलाके को उठाना पड़ता है। उन्होने अपने विचार उनके गांव ठठल में लगे स्टोन क्रशर के बारे में व्यक्त किये। उन्होने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 21000 पौधे लगवाए थे। जोकि उस स्टोन क्रशर के लगाने से नष्ट हो गये हैं। उन्होने इसके बारे में सरकार व विभागों से शिकायत की। मगर इस पर आज दिन तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। उन्होने खनन विभाग से अनुरोध किया कि जहां पर घर, बगीचे, सरकारी नर्सरियां व टयूब वैल हों, वहां पर स्टोन क्रशर न लगायें जायें। उन्होने कहा कि उन अफसरों को सजा क्यों नहीं मिलती जो स्टोन क्रशर नियमों के तहत नहीं लगाये जाते हैं। उन्होने सूचित किया की ठठल में लगे स्टोन क्रशर के मालिक उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। उन्होने सुझाव दिया कि स्टोन क्रशर लगने चाहिए व खनन प्रक्रिया के लिए जे.सी.बी./मशीन का उपयोग नहीं किया जाना	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला ऊना ने विभागों को निर्देश दिया कि वे सरकार के नियमों के अनुसार निरीक्षण करें और पुलों व बाढ़ क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जाए । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्थानीय लोगों को रेत व बजरी सस्ते दामों पर दी जाए ।

		चाहिए । उन्होने पुल के नजदीक व बाढ़ क्षेत्र में अवैध खनन प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखने को कहा। उन्होने पंचायत प्रधान से अनुरोध किया की वे गांव के स्थानीय लोगों को रेत व बजरी सस्ते दामों पर उपलब्ध करवायें।	
6.	श्री अर्जुन सिंह प्रधान ग्राम पंचायत दियाड़ा, तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	श्री अर्जुन सिंह ने कहा कि वह यहां पर स्टोन क्रशर के लगने से सरकार के धन्यवादी हैं। यह आम गांव के लोंगो के लिये सम्भव नही है कि वह रेत व बजरी पंजाब से खरीदें। बाढ़ से जो यहां पर नुकसान होता था वह खडड में खनन प्रक्रिया से नियंत्रित हो गया है। उन्होने आगे कहा कि खनन क्षेत्र मे पानी का लेवल बहुत कम है। अन्य राज्यों में तो लोग बहुत गहराई तक खुदाई करके पानी निकालते हैं। हमें इस स्टोन क्रशर से बहुत फायदें हैं व हमें धूली हुई बजरी व रेता मिलता है। खनन प्रक्रिया के चलते उनकी जमीने बाढ से नियंत्रित हो गई है और यहां पर लोगों ने स्टोन क्रशर के साथ कई दुकानें खोली हैं । इस गांव में बिजली की कोई समस्या नहीं है। उन्होने कहा कि कुछ स्टोन क्रशर मालिक जे.सी.बी. का प्रयोग करते हैं उन्हे सजा मिलनी चाहिए।	
7.	श्री मेहर चन्द प्रधान ग्राम पंचायत बड़ूही, तह. अम्ब, जिला ऊना (हि. प्र.)	श्री मेहर चन्द ने कहा कि अगर कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उसके प्रभाव व दुष्प्रभाव भी होते हैं। जहां पर स्टोन क्रशर लगते हैं, वहां पर कुछ लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है व कुछ लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। वह उन लोगों को सचेत करना चाहते हैं जो अवैध खनन प्रक्रिया में लिप्त हैं व जो ग्राम पंचायत प्रधान ठठल को धमकी दे रहे हैं। उन्होने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व खनन विभाग से अनुरोध किया कि अवैध खनन रोकने के लिये उचित क़दम उठायें, जिससे बांध व पुलों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। उन्होने कहा कि सारी रात स्टोन क्रशर चलता है व हम रात को शान्ति से सो नहीं सकते। धूल को रोकने के लिए इस स्टोन क्रशर द्वारा कोई पक्का इंतजाम नहीं किया है और खनन प्रक्रिया बहुत गहराई तक जाने से खडड के तल पर मिटटी निकल आई है । उन्होने सुझाव दिया कि जो लिंक रोड़ इस खडड से गुजरता है, उसको दो से चार मीटर चौड़ा कर इस खडड के तल पर सीमेंट मिक्स पक्का रास्ता बनाया जाये, जिससे स्थानीय लोगों को इसका फायदा हो सके। उन्होने स्टोन क्रशर मालिक अनुरोध किया कि क्रशर के चारों तरफ पेड़ लगाये और अवैध खनन प्रक्रिया से	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला ऊना ने क्रशर मालिक को सुझाव दिया कि वह खनन क्षेत्र के चारों तरफ पेड़ लगाएं और गांव के खराब रोड को ठीक करें। क्रशर और गाड़ियों को रात के दस वजे तक ही चलाएं । उन्होने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण रोकने के लिये उचित कदम उठायें । उन्होने RTO को भी कहा जिन गाड़ियों के पूरे दस्तावेज न हो उनके चालान किया जाए और चूककर्ता की गाड़ी जब्त की जाए ।

		इस खडड में पड़े गढढों को भरा जाये । उन्होने कहा कि यहां पर ट्रैक्टर और ट्रक गांव के लिंक रोड को खराब कर रहे हैं। यहां पर रात को वाहनों में ऊँची आवाज़ में गाने बजाये जाते हैं। कुछ लोगों ने ट्रैक्टर कृषि के लिए खरीदें हैं परन्तु उनका उपयोग व्यवसाय में किया जा रहा है।	
8.	श्री विजय कुमार प्रधान ग्राम पंचायत टकारला, तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	श्री विजय कुमार ने कहा की इस स्टोन क्रशर मालिक द्वारा स्टोन क्रशर के चारों तरफ कोई पेड़ नहीं लगाया गया है । उन्होने इस बात पर जोर दिया कि स्टोन क्रशर के चारों तरफ पेड़ लगायें जायें। उन्होने आगे कहा कि इस गांव के लिंक रोड़ की क्षमता भारी वाहनों के चलने के लिए नहीं है, इसके लिए उन्होने अनुरोध किया कि किसी भी भारी वाहन को इस गांव के लिंक रोड़ से नही जाने दिया जाये ।	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला ऊना ने क्रशर मालिक को कहा कि वह भारी गाड़ियों को गांव के लिंक रोड में न चलाएं ।
9.	श्री राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम पंचायत टकारला, तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	श्री राजेन्द्र कुमार ने कहा कि उनका घर इस स्टोन क्रशर से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। पहले इन्हें इस स्टोन क्रशर से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत थी और उनके कहने पर क्रशर मालिक ने स्टोन क्रशर के चलाने का समय निर्धारित कर दिया। अव यह स्टोन क्रशर रात को नहीं चलता है व बहुत कम धूल उड़ती है और स्टोन क्रशर मालिक ने पानी के फब्बारे/हवा रोकने की दीवार लगा दी है । उन्होने आगे कहा कि स्टोन क्रशर का ध्वनि प्रदूषण समान्य हो गया है।	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना ने क्रशर मालिक को निर्देश दिया कि रात को खनन प्रक्रिया न करें और ध्वनी व वायु प्रदूषण रोकने के लिये उचित कदम उठायें ।

अन्त में पर्यावरण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ऊना ने सभी प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन का पर्यावरण सम्बन्धी जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया । उन्होने इस स्टोन क्रशर मालिक व अन्य स्टोन क्रशर मलिको को हिदायत दी कि वे रात को 10:00 बजे के बाद और सुबह 6:00 बजे तक स्टोन क्रशर को न चलाये।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला ऊना (हि.प्र.)